

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0210 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 17/08/2025 16:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 13/08/2025 Date To (दिनांक तक): 16/08/2025
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:45 बजे Time To (समय तक): 15:13 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 17/08/2025 Time (समय): 16:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 17/08/2025 16:48:55 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 80 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
(b)Address(पता): ACHARYA BHIKSHU ASHRAM KE MUKHYA GATE KE BAHAR SIRIYARI, JILA PALI
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ASLAM KHAN

(b) Father's Name (पिता का नाम): SADEEK MOHAMMAD

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 15/06/1993

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOAN SIRIYARI, SIRIYARI, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOAN SIRIYARI, SIRIYARI, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ASHOK		पिता: PUKARAM	1. GOAN REPADAWAS, SOJAT CITY, PALI, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	मिक्के और मुद्रा	रुपये	10000/- भारतीय प्रचलित मुद्रा एवं 40000/-डमी नोट	50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 50,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी पाली ॥ विषय- रिश्त लेते हुए पकड़वाने के लिए महोदय, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मै असलम खान s/o श्री सदीक मोहम्मद उम्र 32 साल जाति पिंजारा मुसलमान निवासी गांव सिरियारी तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली का निवासी हुं मैने एक आवासीय प्लाट जिसमे एक दुकान बनी हुई है जो कुल 25 x 70 फिट साईज का कसबा सिरियारी मे खरीदा था जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 24-12-2024 को करवाई थी। मेरे खरीद शुदा प्लाट व दुकान का म्युटेशन खुलवाने के लिए मै सिरियारी पटवारी श्री अशोक जी से दिनांक 12-08-2025 को मिला तो उन्होने मेरे दुकान व प्लाट का म्युटेशन खोलने के लिए रिश्त के 50000/- रुपये की मांग की और कहा कि मै उच्चाधिकारियों से आगे का काम अपने आप करवा दुंगा तथा रुपये दिए बिना पटवारी श्री अशोक जी मेरा काम नही करेंगे। मै एक फौजी हुं कार्यवाही करवाना चाहता हुं और अशोक जी पटवारी को मेरे प्लाट का म्युटेशन खोलने की एवज मे रिश्त राशि नही देना चाहता हुं तथा पटवारी जी को रिश्त लेते हुए पकड़वाना चाहता हुं। मेरा व अशोक जी पटवारी का आपस मे रुपये पैसों का कोई लेन देन उधार आदि बकाया नही है व ना ही कोई आपसी दुश्मनी व बैर भाव आदि भी है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करावे। दिनांक 13-08-2025 प्रार्थी एसडी असलम खान s/o श्री सदीक मोहम्मद निवासी सिरियारी तह- मा0 ज0 (पाली) n कार्यवाही एसीबी दिनांक 13-08-2025 वक्त 11-45 एएम दर्ज रहे कि परिवारी श्री असलम खान द्वारा ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री नंबर 1064 पर की गई शिकायत के क्रम मे परिवारी से संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही करने के लिए ब्यूरो मुख्यालय से जरिये टेलिफोन दिनांक 12-08-2025 वक्त 07-26 पीएम पर मन खींव सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर परिवारी श्री असलम खान के मोबाईल नंबर दिये। ब्यूरो मुख्यालय के आदेश की पालना मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवारी श्री असलम खान के मोबाईल नंबर पर संपर्क किया तो परिवारी ने लोकसेवक द्वारा रिश्त राशि मांगने की शिकायत की तथा इस बाबत रिपोर्ट के लिए ब्यूरो कार्यालय पाली आने मे असमर्थता जाहिर की तथा मारवाड जक्शन कस्बे से बाहर मिलने को कहा। परिवारी की शिकायत के क्रम मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री भवानी सिंह हैड कानि मय कार्यालय हाजा का सरकारी डिजिटल वायस रिकार्डर व एक नया खाली मैमोरी कार्ड कार्यालय हाजा का लेपटॉप प्रिन्टर हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री नारायण सिंह कानि के पाली से वक्त 10-15 एएम पर मारवाड जक्शन के लिए रवाना होकर वक्त 11-30 एएम पर मारवाड जक्शन कस्बे के बाहर अंबेडकर छात्रावास पहुंचा तथा परिवारी श्री असलम खान भी निर्देशित नियत स्थान पर अपने स्वीफ्ट कार सहित कुछ समय पश्चात उपस्थित आया। परिवारी श्री असलम खान ने एक लिखित रिपोर्ट मन खींव सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि मै असलम खान s/o श्री सदीक मोहम्मद उम्र 32 साल जाति पिंजारा मुसलमान निवासी गांव सिरियारी तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली का निवासी हुं मैने एक आवासीय प्लाट जिसमे एक दुकान बनी हुई है जो कुल 25 x 70 फिट साईज का कसबा सिरियारी मे खरीदा था जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 24-12-2024 को करवाई थी। मेरे खरीद शुदा प्लाट व दुकान का म्युटेशन खुलवाने के लिए मै सिरियारी पटवारी श्री अशोक जी से दिनांक 12-08-2025 को मिला तो उन्होने मेरे दुकान व प्लाट का म्युटेशन खोलने के लिए रिश्त के 50000/- रुपये की मांग की और कहा कि मै उच्चाधिकारियों से आगे का काम अपने आप करवा दुंगा तथा रुपये दिए बिना पटवारी श्री अशोक जी मेरा काम नही करेंगे। मै एक फौजी हुं कार्यवाही करवाना चाहता हुं और अशोक जी पटवारी को मेरे प्लाट का म्युटेशन खोलने की एवज मे रिश्त राशि नही देना चाहता हुं तथा पटवारी जी को रिश्त लेते हुए पकड़वाना चाहता हुं। मेरा व अशोक जी पटवारी का आपस मे रुपये पैसों का कोई लेन देन उधार आदि बकाया नही है व ना ही कोई आपसी दुश्मनी व बैर भाव आदि भी है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करावे। परिवारी की रिपोर्ट का अवलोकन कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवारी से पुछताछ की तो परिवारी ने रिपोर्ट मे अंकित तथ्यों के बारे मे बताते हुए बताया कि मै भारतीय सेना मे आर्टिलरी विंग का हवलदार हुं तथा नासिक मे आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर मे तैनात हुं अभी मे मेरे गांव सिरियारी एक माह की छुट्टी पर आया हुआ हुं मैने दिसम्बर 2024 मे गांव सिरियारी मे मुख्य रोड सोजत फुलाद रोड पर 25 x 70 फिट का एक प्लोट खरीदा था जिसमे एक दुकान बनी हुई है तथा जिसकी रजिस्ट्री मैने खारची (मारवाड जंक्शन) उप पंजीयन मे करवाई थी। मै मेरे खरीदशुदा प्लोट का म्युटेशन खुलवाने के लिए सिरियारी पटवारी श्री अशोक जी से मिला तो उन्होने म्युटेशन खोलने के लिए मेरे से रिश्त के 50000/- रुपये मांगे और कहा कि यह रुपये मै मेरे लिए नही मांग रहा हुं मुझे तहसीलदार

साहब को देने पड़ते हैं तथा तहसीलदार साहब को रुपये दिए बिना वो म्यूटेशन पास नहीं करेंगे तब मैंने पटवारी श्री अशोक जी से कहा कि मैं तहसीलदार साहब से मिल लू तो उन्होंने कहा कि आप के मिलने से कुछ नहीं होगा वो ऐसे अन्य लोगों से रुपये नहीं मांगते वो तो अपने विश्वास पात्र वाले आदमी से रुपये मांगने की बात करते हैं। आफिस के किसी भी काम काज जैसे रजिस्ट्री व म्यूटेशन एवं जमीन का कन्वर्जन आदि करवाने के लिए बिना रूपयों के काम नहीं करते तथा वो अपने विश्वास पात्र वाले पटवारियों के माध्यम से ही उपरी रुपये लेते हैं और यदि कोई नहीं देता है तो उसका काम अटका देते हैं। परिवारी ने अपने खरीद शुदा प्लोट की रजिस्ट्री की फोटो प्रति पेश कि तो उक्त प्लोट परिवारी द्वारा खरीद करना पाया गया। परिवारी कि रिपोर्ट एवं बताये तथ्यों पर एक लोकसेवक द्वारा रिश्तत राशि मांग करने से संबंधित होने से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से प्रथमतः रिश्तत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवारी को रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने के संबंध में समझाईस की गई। तत्पश्चात हमराह श्री भवानी सिंह हैड कानि एवं परिवारी श्री असलम खान का आपस में परिचय करवाया जाकर हमरा लाया हुआ कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्ड मय नया मेमोरी कार्ड श्री भवानी सिंह हैड कानि को सुपुर्द कर रिश्तत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के लिए परिवारी श्री असलम खान के साथ पटवारी से संपर्क करने पटवार हल्का सिरियारी की तरफ रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सरकारी वाहन व चालक श्री नारायण सिंह हमरा ले गये उपकरण सहित कस्बा मारवाड ज से पाली के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 07-30 पीएम पर श्री भवानी सिंह हैड कानि निर्देशानुसार बाद गोपनीय सत्यापन के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा पूर्व का सुपुर्द शुदा डिजिटल वायस रिकार्ड बंद हालात में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार मैं परिवारी के साथ रिश्तत राशि का गोपनीय सत्यापन करवाने के लिए मारवाड जकशन से रवाना होकर कस्बा सिरियारी पहुंचा जहां पटवार घर सिरियारी के ताला लगा हुआ होने से आस पास के लोगों से पुछने पर श्री अशोक कुमार पटवारी के पास दो तीन पटवार हल्कों का चार्ज होने से अन्य पटवार हल्कों में किसी काम काज से जाना ज्ञात हुआ। जिस पर परिवारी ने पटवारी श्री अशोक के मोबाईल पर संपर्क करना चाहा तो पटवारी श्री अशोक का मोबाईल नोट रिच रहा जिस कारण संपर्क नहीं हो सका। कुछ समय पश्चात पटवारी श्री अशोक कुमार के मोबाईल पर काल लगने पर परिवारी ने वार्ता कि तो पटवारी जी ने गांव फुलाद से तिरंगा यात्रा व कलेक्टर साहब का दौरा होने से गांव फुलाद में होना बताया तथा करीब चार पांच बजे के आस पास मोड भट्टा सोजत आकर वंही मिलने का कहा। जिस पर मैं व परिवारी परिवारी के वाहन से मोड भट्टा सोजत पहुंचे तथा पटवारी के आने का इंतजार करने लगे। वक्त करीब 04-57 पीएम पर पटवारी श्री अशोक ने परिवारी के मोबाईल पर फोन कर बताया कि वो मोड भट्टा चौराया के पास आ गया है। जिस पर मैंने कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्ड जिसमें नया मेमोरी कार्ड डालकर रिकार्ड चालु कर गोपनीय सत्यापन हेतु परिवारी श्री असलम खान को सुपुर्द किया तथा परिवारी को उसकी गाडी में ही बैठा छोड़कर मैं गाडी से उतर कर गाडी के पास ही खड़े पानी पुरी के ठेले के पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए गोपनीय रूप से खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति काले रंग की टीशर्ट पहने हुए परिवारी की कार के पास आकर रुका तथा परिवारी से वार्ता करते हुए परिवारी की कार के अंदर बैठ गया करीब आधा घंटा वार्ता करने के बाद संदिग्ध व्यक्ति परिवारी की कार से उतर कर अपनी मोटरसाईकिल से सोजत कस्बे की तरफ रवाना हुआ तथा मैंने परिवारी को सोजत रोड की तरफ जाने का ईशारा किया। संदिग्ध व्यक्ति के सोजत कस्बे काफी अंदर जाने के पश्चात मैंने परिवारी श्री असलम को जरिये वाट्सअप काल कर पुन मोडभट्टा चौराया आने का कहा तो कुछ समय पश्चात ही परिवारी श्री असलम खान उपस्थित आया जिससे डिजिटल वायस रिकार्ड प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मैंने अपने कब्जे में सुरक्षित रखकर मैं व परिवारी हाईवे पर गोपनीय स्थान पर आये जहां पर परिवारी ने मुझे बताया कि मोड भट्टा चौराया पर सोजत रोड की तरफ जाने वाली रोड पर मोड पर मैं गाडी खड़ी कर दी थी तभी श्री अशोक जी पटवारी जी ने मुझे आवाज दी और आकर मेरी गाडी में बैठ गये मैंने मेरे प्लोट के म्यूटेशन के लिए कहा तो उसने बताया कि मेरे प्लोट की साईज वर्गमीटर में नहीं होने से म्यूटेशन नहीं हो पायेगा तथा तहसीलदार साहब नहीं करेंगे तुम्हारा काम मुश्किल है। फिर भी मैं रिस्क लेकर काम कर दुंगा परंतु तहसीलदार साहब को इकावन हजार रुपये देने पड़ेंगे जिस पर मेरे द्वारा रुपये कम करने की रिक्केस्ट करने पर उन्होंने रुपये कम करने का इंकार करते हुए अंत में 50000/-रुपये देने पर ही मेरा काम करने पर सहमत हुए। आपके निर्देशानुसार मैंने परिवारी श्री असलम को वंही से रूखसत किया तथा मैं वहां में रवाना होकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। श्री भवानी सिंह द्वारा बताये तथ्यों के क्रम में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वायस रिकार्ड चालु कर मांग सत्यापन वार्ता को सुना तो मांग सत्यापन वार्ता में परिवारी श्री असलम खान के खरीदशुदा आवासीय प्लोट की रजिस्ट्री पर म्यूटेशन दर्ज करने की एवज में श्री अशोक कुमार पटवारी पटवार हल्का सिरियारी द्वारा मांग सत्यापन वार्ता के अवलोकन से अशोक पटवारी एक लोक सेवक होते हुए आम जन के राजकार्य को करने की एवज में रिश्तत राशि स्वयं के लिए व तहसीलदार मारवाड जकशन के नाम से रिश्तत मांगना स्पष्ट प्रकट होता है। डिजिटल वायस रिकार्ड मय मेमोरी कार्ड के ही बंद कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में सुरक्षित रखा। परिवारी की रिपोर्ट के क्रम में समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये निर्देशानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। तत्पश्चात समय- 08-50 पीएम पर रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे से निकालकर चालू कर

उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में सेव कर रिकार्ड वार्ता को सुन सुन कर वार्ता के शब्दों का टंकण कम्प्यूटर के माध्यम से करने के लिए श्री भवानी सिंह हैड कानि को निर्देशित किया गया तथा डिजिटल वायस रिकार्डर व मूल मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। इस गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से भवानी सिंह हैड कानि को गवाहान की तलबी कर पाबंद करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक- 15-08-2025 समय- 09-00 एएम पर उपरोक्त फिकरा के निर्देशानुसार श्री भवानी सिंह हैड कानि ने रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता का टंकण कर टंकण की हार्ड कापी का प्रिंट निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टंकणीय शब्दों का मिलान रिकार्ड वार्ता से किया जाकर टंकण की साफ्ट कापी लैपटॉप में सेव रखवाई गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता गवाह व परिवादी की उपस्थिती में टंकणिय शब्दों को मिलान कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार कि जावेगी। श्री भवानी सिंह हैड कानि द्वारा पूर्व के निर्देशानुसार इस गोपनीय कार्यवाही में गवाहान की तलबी जरिये तहरीर कर गवाह को पाबंद किया जा चुका है। जिनको वक्त जरूरत कार्यवाही हेतु तलब किया जायेगा। तत्पश्चात समय- 11-10 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मण दान एएसआई व श्री भवानी सिंह हैड कानि मय डिजिटल वायस रिकार्डर एवं मेमोरी कार्ड एवं लैपटॉप प्रिंटर व आवश्यक सामग्री सहित परिवादी श्री असलम खान से संपर्क कर मांग सत्यापन वार्ता में आए तथ्यों की पुष्टि के क्रम में अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी के गांव सिरियारी के लिए निजी वाहन से रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 12-45 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहयान के कस्बा सिरियारी पहुंचा जहां पर परिवादी श्री असलम खान के मोबाईल पर संपर्क कर परिवादी को सिरियारी कस्बे से बाहर गोपनीय स्थान पर मिलने का कहा तो परिवादी ने सिरियारी कस्बे में सिरियारी बांध की तरफ जाने वाले रोड पर एकांत में मिलने का कहा जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहयान के परिवादी द्वारा बताये स्थान पर पहुंचा। तत्पश्चात समय- 01-15 पीएम पर परिवादी श्री असलम खान नियत स्थान पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास मोटरसाईकिल से उपस्थित आया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता में पटवारी द्वारा तहसीलदार के लिए रिश्तत राशि के रूपये मांग करने की वार्ता के तथ्य प्रकट होने से इस वार्ता के क्रम में तहसीलदार से भी रिश्तत राशि मांग की पुष्टि करवाया जाना आवश्यक होने से आरोपी पटवारी श्री अशोक से मिलकर इस संबंध में और वार्ता करने के लिए कहा। जिस पर परिवादी ने बताया कि श्री अशोक पटवारी तहसीलदार से फोन पर वार्ता नहीं करेगा तथा इस संबंध में वार्ता करने के लिए तहसीलदार के पास मुझे साथ लेकर नहीं जायेगा क्योंकि मांग सत्यापन वार्ता के समय यह बात श्री अशोक पटवारी ने कही थी कि तहसीलदार जी इस बारे में किसी से वार्ता नहीं करते लेकिन मैं तहसीलदार जी से ऐसे मामलों में रूपये लेन देन संबंधि वार्ता करता रहता हूं तथा उनके कहे अनुसार ही मैं आगे पार्टी में रूपयों की बात करता हूं और मुझे भी मेरे काम के लिए यही बात कही थी। साथ ही परिवादी ने कहा कि मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूं यदि पटवारी अशोक जी तहसीलदार साहब से मेरे म्युटेशन के संबंध में मोबाईल पर या आमने सामने वार्ता करें। तत्पश्चात परिवादी श्री असलम खान ने पटवारी श्री अशोक के मोबाईल पर काल कर मिलने के लिए कहा तो पटवारी अशोक ने शिवपुरा गांव में राजकार्य में व्यस्त होना बताया तथा राजकार्य के समाप्ति पश्चात सिरियारी में ही आकर मिलने का कहा। उक्त वार्ता के क्रम में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराह आये श्री भवानी सिंह हैड कानि को कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री लक्ष्मणदान एएसआई निजी वाहन से अपनी उपस्थिती छुपाते हुए गोपनीय स्थान सिरियारी कस्बे से बाहर मुकीम रहे। तत्पश्चात समय- 03-15 पीएम पर श्री भवानी सिंह हैड कानि व परिवादी श्री असलम खान सिरियारी कस्बे में बाहर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास नियत स्थान पर उपस्थित आये तथा श्री भवानी सिंह ने पूर्व में दिया हुआ डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी श्री असलम खान ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री अशोक जी पटवारी किसी राजकार्य से गांव शिवपुरा में व्यस्त है और आज आने की संभावना नहीं है और यदि अब मैं ज्यादा पटवारी जी से संपर्क करने की बार बार कौशिश करूंगा तो उनको शक हो जायेगा और वो तय की गई रिश्तत राशि भी मेरे से नहीं लेंगे। श्री अशोक जी पटवारी से मैं पहले भी तहसीलदार से मिलकर बात करने के लिए कह चुका हूं लेकिन पटवारी जी ने इस संबंध में स्पष्ट इंकार करते हुए कहा कि तहसीलदार साहब इस बारे में किसी से भी बात नहीं करते तथा मैं जो रूपयों के बारे में कह रहा हूं वो तहसीलदार साहब के कहे अनुसार ही कह रहा हूं तथा इस संबंध में मेरी तहसीलदार साहब से बात हो गई है मैं आपका काम करवा दूंगा आप तो रूपयों की व्यवस्था करके मुझे दे दो बाकी काम मैं अपने आप करवा दूंगा। इस प्रकार परिवादी के बताये उक्त तथ्यों के क्रम में कुछ तथ्य मांग सत्यापन वार्ता से भी पुष्टि होते हैं तथा परिवादी के बताये अनुसार आरोपी पटवारी से संपर्क करने हेतु बार बार भेजने पर आरोपी को शक हो सकता है तथा आगे की कार्यवाही को अंजाम देना असंभव प्रतीत हो सकता है। तत्पश्चात परिवादी श्री असलम खान ने बताया कि पटवारी श्री अशोक जी द्वारा मांगी गई रिश्तत राशि 50000/- रूपये की व्यवस्था नहीं हो सकती मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10000/- रूपयों की व्यवस्था हो सकती है बाकी के 40000/- रूपयों के

डमी नोट की व्यवस्था कर सकता हूँ। जिस पर परिवादी को उक्त के क्रम में व्यवस्था करने हेतु निर्देशित कर इस संबंध में उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन कर निर्देशानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी को कल दिनांक 16-08-2025 को सुबह 08-00 एएम ब्यूरो कार्यालय पाली रिश्त राशि सहित उपस्थित आने हेतु आवश्यक गोपनीयता की हिदायत कर रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान एवं मय हमरा ले गये उपकरण एवं आवश्यक सामग्री सहित वक्त 03-40 पीएम पर कम्बा सिरियारी से पाली के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय-05-05 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मण हान एसआई व श्री भवानी सिंह हैड कानि मय हमरा ले गये उपकरण एवं आवश्यक सामग्री सहित फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा ब्यूरो चौकी पाली उपस्थित आया। कल दिनांक 16-08-2025 को आयोजित गोपनीय कार्यवाही में पाबंद किये गये गवाहों व ब्यूरो स्टाफ को कल दिनांक 16-08-2025 को सुबह जल्दी 08-00 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की हिदायत की गई। तत्पश्चात दिनांक- 16-08-2025 समय- 08-30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से कार्यालय हाजा का समस्त स्टाफ कार्यालय हाजा पर उपस्थित है तथा गोपनीय कार्यवाही में पाबंद किये गये गवाह श्री हेमराज व श्री घनश्याम भी पाबंदशुदा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान को परिचय पुछने पर अपना अपना नाम हेमराज पुत्र श्री दौलाराम जाति हरीजन उम्र 48 साल निवासी मंडिया रोड हरीजन बस्ती पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली राज हाल कनिष्ठ सहायक नगर निगम पाली राज मोबाईल नंबर [REDACTED] व घनश्याम पुत्र श्री मांगीलाल जाति घांची उम्र 44 साल निवासी मकान नंबर 35 सुनारो का बास पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक नगर निगम पाली मोबाईल नंबर [REDACTED] बताया दोनो गवाहों को गोपनीय कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया तथा परिवादी के उपस्थित आने पर परिवादी व दोनो गवाहों का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाया जायेगा। तत्पश्चात समय- 09-15 एएम पर परिवादी श्री असलम खान कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा परिवादी ने बताया कि रिश्त राशि के 50000/- रुपये में से 10000/- रुपये तो भारतीय प्रचलित मुद्रा के नोट व 40000/-रुपये आपको पूर्व में बताये अनुसार 500-500 रूपयों के डमी नोट साथ लेकर आया हूँ जो मेरे पास है। तत्पश्चात कार्यालय कक्ष में ही उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री असलम खान का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 13-08-2025 को दी गई रिपोर्ट गवाहान को पढ़ाई गई एवं दिनांक 13-08-2025 को रिश्त राशि मांग सत्यापन रिकार्डशुदा वार्ता को लेपटाप के माध्यम से सुनाया गया। दोनो गवाहों ने परिवादी की रिपोर्ट को पढ़ा तथा रिकार्ड शुदा मांग सत्यापन वार्ता को सुन कर परिवादी से पुछताछ कर तसल्ली कर परिवादी की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमती देते हुए परिवादी की रिपोर्ट पर दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय- 09-30 एएम पर रिश्त राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाना शेष होने से उक्त रिकार्डिंग वार्ता को पूर्व में शब्द ब शब्द टंकण करवाया जा चुका है जो कार्यालय हाजा के लेपटाप में सेव है उक्त टंकणिय शब्दों का मिलान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्त राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब करना प्रारंभ किया गया। जो वक्त 10-30 एएम तक फर्द ट्रांसक्रिप्ट पूर्ण कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डिंग वार्ता को कार्यालय के लेपटाप के माध्यम से दो पैन ड्राईव में डालकर डब कापी तैयार की गई। मांग सत्यापन के मूल मेमोरी कार्ड की हेस वेल्सु निकाली गई तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का प्रमाण पत्र साध्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मांग सत्यापन वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में शील्ड किया गया तथा दोनो डब पैन ड्राईव को खुली हालत में रखा जाकर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय 10-35 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री असलम खान पुत्र श्री शरीफ मोहम्मद निवासी गांव सिरियारी जिला पाली द्वारा आरोपी श्री अशोक पटवारी पटवार मंडल सिरियारी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली को रिश्त में दी जाने वाली राशि पचास हजार रुपये में से दस हजार रुपये जो 500-500 सौ रुपये के कुल 20 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के व शेष चालीस हजार रुपये जो 500-500 रूपयों के डमी नोट अपने पास से निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्त राशि के 50 हजार रुपये जिनमें से 40 हजार रुपये जो कि 500-500 रूपयों के 80 डमी नोट हैं तथा इन डमी नोटों की पहचान हेतु सभी 80 डमी नोटों पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के लघु हस्ताक्षर कर क्रम संख्या 21 से 100 तक निर्धारित कर डमी नोटों पर क्रमांक अंकन किया गया। कुल रिश्त राशि में से 10 हजार रुपये भारतीय प्रचलित मुद्रा के 500-500 रूपयों के कुल 20 नोटों के नंबर का विवरण तथा शेष रिश्त राशि 40 हजार रूपयों के डमी नोट 500-500 रूपये के कुल 80 डमी नोटों पर अंकित डमी नंबरों व क्रमांक का विवरण निम्नानुसार है क्रम संख्या नोट का विवरण नोटों के सीरियल नंबर 1 एक नोट पांच सौ रुपये का 3EE803107 2 एक नोट पांच सौ रुपये का 9DD265066 3 एक नोट पांच सौ रुपये का 1FA810239 4 एक नोट पांच सौ रुपये का 9FF866688 5 एक नोट पांच सौ रुपये का 7TW081842 6 एक नोट पांच सौ रुपये का 4EA388881 7 एक नोट पांच सौ रुपये का OBS834391 8 एक नोट पांच सौ रुपये का ODM390620 9 एक नोट पांच सौ रुपये का 3NP243037 10 एक नोट पांच सौ रुपये का 4BP069914 11 एक नोट पांच सौ रुपये का 6KS738106 12 एक

7

डमी नंबर 0AA000000 88 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 89 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 90 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 91 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 92 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 93 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 94 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 95 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 96 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 97 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 98 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 99 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 100 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 उपरोक्त नोटों के फिनोफथलीन पाउडर लगवाने हेतु कार्यालय हाजा के मालखाना से श्री नारायण सिंह कानि/चालक नंबर 490 से फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर श्री नारायण सिंह कानि/चालक को परिवादी द्वारा पेश किये गये रश्चित राशि के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों व डमी नोटों पर उक्त फिनोफथलीन पाउडर के डिब्बे में से फिनोफथलीन पाउडर निकालकर एक अखबार पर रखवाया जाकर श्री नारायण सिंह कानि/चालक से ही रश्चित राशि के नोटों पर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री असलम खान की जामा तलाशी गवाह श्री हेमराज से लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपति जनक राशि, वस्तु एवं दस्तावेज इत्यादी नहीं रहने दिए गये तथा परिवादी के पास उसका मोबाईल उसके पास ही रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफथलीन पाउडर लगे रश्चित राशि 50000/- रुपये के नोटों व डमी नोटों को परिवादी श्री असलम खान के पहने हुए पेंट की आगे की बांयी जेब में श्री नारायण सिंह कानि/चालक से ही रखवाये गये। परिवादी श्री असलम खान को समझाईस की गई कि रश्चित राशि को हाथ नहीं लगावे व तथा श्री अशोक पटवारी द्वारा मांगने पर ही रश्चित राशि निकाल कर उसे देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावे अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार/अभिवादन करे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि पटवारी श्री अशोक द्वारा रश्चित राशि प्राप्त करने के बाद वह रश्चित राशि को कहा रखता है अथवा छुपाता है इस बात का विशेष ध्यान रखे। रश्चित राशि श्री अशोक पटवारी द्वारा प्राप्त करने के पश्चात मन खींव सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुए अपने मिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या श्री भवानी सिंह हैड कानि के मोबाईल नंबर [REDACTED] पर काल या मिस काल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स में से प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास मंगवाया जाकर गिलास में साफ पानी भरवाया गया तथा उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाह व परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरिन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल में रश्चित राशि के नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री नारायण सिंह कानि/चालक के हाथों की अंगुलियों व अंगुठों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन ने भी गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया तत्पश्चात सभी हाजरिन को समझाईस की गई कि आरोपी द्वारा रश्चित राशि के नोटों के हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को तोड़कर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोटों के फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा श्री नारायण सिंह कानि/चालक के पास से पुन कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवाया गया तथा श्री नारायण सिंह कानि/चालक को इस ट्रेप कार्यवाही में अलग रखा जाकर कार्यालय हाजा पर ही निगरानी हेतु छोड़ा गया। तत्पश्चात समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथों व ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली समस्त सामग्री आदि को भी साथ पानी व साबुन से दो दो बार धुलवाया जाकर पुन ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु, दस्तावेज, एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल के सदस्य एवं गवाहान का अपना अपना मोबाईल स्वयं के पास रहने दिया गया। गवाहान के हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रश्चित राशि लेन देन को देखन व सुनने का प्रयास करे। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रश्चित राशि (भारतीय प्रचलित मुद्रा के नंबर नोट व डमी नोट) व द्रष्टांत फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 11-35 एएम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई व कुलदीप सिंह कानि नंबर 299 एवं स्वतंत्र गवाह श्री हेमराज व कार्यालय हाजा के डिजिटल बायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड व कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से एवं परिवादी श्री असलम खान मय रश्चित राशि एवं ब्यूरो स्टाफ श्री भवानी सिंह हैड कानि नंबर 19 एवं स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम के परिवादी के निजी वाहन से तथा अन्य ब्यूरो स्टाफ श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक व श्री गोविंद वर्मा एएसआई श्री प्रमोद सिंह कानि नंबर 304 व श्री सतपाल कानि नंबर 294 व श्रीमती कोशल्या

महिला कानि नंबर 314 मय ट्रेप बॉक्स लैपटाप प्रिंटर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही से संबंधित आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के अग्रिम कार्यवाही हेतु कस्बा सिरियारी के लिए रवाना हुए तथा रिश्त राशि के नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री नारायण सिंह कानि चालक को कार्यालय हाजा में ही छोड़ा गया। तत्पश्चात समय- 01-20 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ट्रेप दल के सदस्यों एवं परिवारी सहित हमराह वाहनों के कस्बा सिरियारी से थोड़ा पहले पहुंचा जहां पर सरकारी वाहन बोलेरो में मौजूद ट्रेप पार्टी के सदस्यों को बोलेरो वाहन में ही मौजूद रहने एवं अग्रिम आदेश की पालना में निर्देशानुसार नियत स्थान पर उपस्थित आने के लिए निर्देशित कर गोपनीय स्थान पर मुकीम रहने की हिदायत दी गई तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन में मौजूद ट्रेप दल के सदस्यों व स्वतंत्र गवाह एवं परिवारी श्री असलम के वाहन में मौजूद ट्रेप दल के सदस्यों व स्वतंत्र गवाह सहित दोनों वाहनों के आचार्य भिक्षु आश्रम सिरियारी के अंदर की तरफ गोपनीय स्थान पर मुकीम रहकर श्री अशोक पटवारी द्वारा परिवारी को बुलाये जाने तक इंतजार में मुकीम रहे। तत्पश्चात समय- 01-30 पीएम पर परिवारी श्री असलम खान से श्री अशोक पटवारी की लोकेशन ज्ञात करने को कहा तो श्री असलम ने अशोक पटवारी के मोबाईल पर कोल कर श्री अशोक पटवारी की उपस्थिति की जानकारी चाही तो श्री अशोक पटवारी ने किसी काम से सिरियारी में ही होना बताया तथा आधे घंटे में आचार्य भिक्षु आश्रम सिरियारी के बाहर कैंटिन पर आने का कहा जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहयान ट्रेप दल के सदस्य एवं परिवारी के वाहन सहित आचार्य भिक्षु आश्रम सिरियारी के गेट के बाहर स्थित कैंटीन पर आये जहां परिवारी ने अपना वाहन सुराणा भवन सिरियारी के गेट के आगे खड़ा किया तथा कुछ दूरी पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना वाहन भी खड़ा किया। तत्पश्चात हमराह ट्रेप पार्टी के सदस्य सहित दोनों वाहन से उतर कर कैंटीन के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहे तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नये मेमोरी कार्ड के श्री भवानी सिंह हैड कानि को सुपुर्द कर परिवारी श्री असलम खान के साथ ही गोपनीय स्थान पर मुकीम रहने व श्री अशोक पटवारी के कैंटीन पर उपस्थित आने से पूर्व डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर परिवारी को सुपुर्द करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात समय- 02-30 पीएम पर श्री अशोक पटवारी अपनी मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति को पीछे बैठाया हुआ सिरियारी कस्बे की तरफ से आया तथा आचार्य भिक्षु आश्रम सिरियारी के अंदर गया है जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने देखा तथा श्री अशोक पटवारी के आने की सूचना हमराह ट्रेप दल के सदस्यों को दी जाकर सतर्क रहने की हिदायत की। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री भवानी सिंह हैड कानि को निर्देशित किया कि श्री अशोक पटवारी आश्रम के अंदर गया है जो कभी भी बाहर कैंटिन में आ सकता है तथा परिवारी व श्री भवानी सिंह को गोपनीय रूप से कैंटिन के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहने की हिदायत की गई। साथ ही हिदायत दी गई कि श्री अशोक पटवारी के कैंटिन में आने की सूचना मिलने पर शीघ्र ही डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर परिवारी को सुपुर्द कर अशोक पटवारी से मिलने व रिश्त राशि आदान प्रदान के लिए रवाना करे। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हमराह ट्रेप पार्टी के सदस्य कैंटिन के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहे। तत्पश्चात समय- 02-57 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री अशोक पटवारी को अपनी मोटरसाईकिल से एक व्यक्ति को पीछे बैठाये आश्रम से बाहर आते हुए देखा जिस पर श्री अशोक पटवारी के आने की सूचना श्री भवानी सिंह हैड कानि को दी गई तत्पश्चात श्री अशोक पटवारी आश्रम से बाहर आया जिसके गले में एक काले रंग का स्निंग बैग लटका हुआ था जो कैंटिन के आगे अपनी मोटरसाईकिल खड़ी कर दोनों व्यक्ति उतर कर कैंटिन के अंदर जाने लगे कि परिवारी श्री असलम खान भी कैंटिन के आगे आ गया तथा दोनों आपस में मिले तथा वार्तालाप करते हुए कैंटिन के आगे से रवाना होकर सुराणा भवन के गेट के आगे खड़ी परिवारी की गाड़ी की तरफ गये तथा गाड़ी के ड्राईविंग सीट पर परिवारी व ड्राईविंग सीट के पास ही आगे वाली सीट पर श्री अशोक पटवारी बैठ गया तथा गाड़ी के पीछे की सीट पर श्री अशोक पटवारी के साथ आया व्यक्ति भी बैठ गया। परिवारी असलम खान ने अपनी गाड़ी चालू की व पास ही स्थित पेड़ की छाया में खड़ा किया। परिवारी की गाड़ी से करीब 7-8 फिट की दूरी पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का निजी वाहन भी खड़ा था जहां पर श्री लक्ष्मण दान एएसआई भी गोपनीय ईशारे के इंतजार में मुकीम था तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री कुलदीप सिंह कानि एवं स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम व हेमराज व श्री भवानी सिंह हैड कानि भी कैंटिन के ईद गिर्द ही परिवारी की गाड़ी को नजरों में रखते हुए अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम थे। परिवारी के वाहन में बैठे श्री अशोक पटवारी को हम समस्त मुकीम ट्रेप दल के सदस्य देख रहे थे। तत्पश्चात समय- 03-13 पीएम पर परिवारी श्री असलम खान ने श्री भवानी सिंह हैड कानि के मोबाईल पर कोल करके पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिस पर परिवारी का ईशारा मिलते ही श्री भवानी सिंह हैड कानि ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित किया तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ईशारे के इंतजार में आचार्य भिक्षु आश्रम सिरियारी के मुख्य गेट के आस पास व परिवारी की गाड़ी के आस पास मुकीम ट्रेप दल के सदस्य श्री कुलदीप सिंह कानि श्री लक्ष्मण दान एएसआई व स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम कनिष्ठ लिपिक को रिश्त राशि आदान प्रदान होने का ईशारा किया जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अन्य ट्रेप दल के सदस्य अपने अपने निर्धारित मुकीम स्थान से रवाना होकर सिरियारी गांव स्थित सुराणा भवन के गेट के आगे खड़ी परिवारी की गाड़ी के पास पहुंचे जहां पर परिवारी की गाड़ी के आगे वाली सीट पर एक व्यक्ति महारुन रंग की टीशर्ट पहने हुए तथा गले में एक बैग लटकाये हुए जो बैग उस व्यक्ति के गोद में

रखा हुआ बैठा मिला तथा ड्राइवर सीट पर परिवारी श्री असलम खान बैठा हुआ तथा पीछे वाली सीट पर एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ पाया गया। तत्पश्चात परिवारी श्री असलम खान से पूर्व में दिया गया डिजिटल वायस रिकार्डर वापस लेकर बंदकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में रखा। तत्पश्चात गाड़ी में बैठे बैठे ही परिवारी असलम ने आगे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही श्री अशोक जी पटवारी है जिन्होंने मेरे प्लोट का म्यूटेशन भरने की एवज में अभी अभी मेरे से मांग कर रिश्तत राशि के 50000/- रुपये प्राप्त कर अपने हाथ से लेकर अपने पास रखे इस बैग में डालकर बैग को चेनबंद किया है तथा रिश्तत राशि पटवारी के इसी बैग में रखे हुए है। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवारी की गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहयान का परिचय पुछा तो उसने अपना नाम अशोक पुत्र श्री पुकाराम जाति सरगरा उम्र 27 साल निवासी गांव रेपडावास पुलिस थाना शिवपुरा तहसील सोजत सिटी जिला पाली हाल पटवारी पटवार हल्का सिरियारी तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली होना बताया। तत्पश्चात श्री अशोक पटवारी को परिवारी श्री असलम से प्राप्त की गई रिश्तत राशि के बारे में पुछा तो उसने स्वयं के गले में लटके हुए स्निंग बैग में बताया बताया। रिश्तत राशि आदान प्रदान होने का घटना स्थल जो कि एक सार्वजनिक स्थान होने में भीड़ भाड़ होने की संभावना के मद्देनजर ट्रेप कार्यवाही से संबंधित अग्रिम हाथ धोवन एवं बरामदगी की कार्यवाही पुलिस थाना सिरियारी में संपादित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात श्री अशोक को परिवारी की गाड़ी से नीचे उतार कर दोनों हाथों को कलाई के ऊपर से हमराह स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम व श्री लक्ष्मण दान एएसआई से पकड़वाया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन में बैठाया तथा परिवारी की गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को परिवारी की गाड़ी में ही बैठा रहने की हिदायत कर साथ में श्री भवानी सिंह हैड कानि को बिठाकर गवाह श्री हेमराज को साथ लेकर पुलिस थाना सिरियारी पहुंचने के निर्देश दिये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दस्तयाब शुदा श्री अशोक पटवारी व स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम एवं ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मणदान एएसआई व श्री कुलदीप सिंह कानि के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से आचार्य भिक्षु आश्रम सिरियारी के मुख्य गेट एवं सुराणा भवन के गेट के आगे से पुलिस थाना सिरियारी के लिए रवाना हुआ साथ ही अन्य ट्रेप दल के सदस्य श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक श्री गोविंद वर्मा एएसआई श्री प्रमोद सिंह कानि व श्री सतपाल कानि व श्रीमती कोशल्या महिला कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो एवं ट्रेप कार्यवाही से संबंधित आवश्यक सामग्री ट्रेप बोक्स लेपटाप प्रिंटर सहित अन्य गोपनीय स्थान पर आगामी निर्देशों की पालना में मुकीम थे जिनको भी शीघ्र ही पुलिस थाना सिरियारी पहुंचने के निर्देश दिये। तत्पश्चात घटना स्थल से पुलिस थाना सिरियारी आते समय रास्ते में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम एवं ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई व श्री कुलदीप सिंह की मौजूदगी में श्री अशोक को रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता में रिश्तत राशि तहसीलदार के लिए लेने के तथ्यों के बारे में पुछा तो श्री अशोक पटवारी ने बताया कि मैंने श्री असलम से रिश्तत राशि के रूप में तहसीलदार जी के लिए नहीं लिये है मैंने मेरे लिए ही रिश्तत राशि ली है। श्री अशोक पटवारी द्वारा बताये तथ्यों पर परिवारी से प्राप्त की रिश्तत राशि श्री अशोक पटवारी ने स्वयं के लिए ही ली गई है तथा मांग सत्यापन वार्ता में तहसीलदार के लिए रिश्तत राशि मांगने के तथ्यों के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होने एवं पटवारी श्री अशोक द्वारा इस संबंध में तहसीलदार जी से कोई वार्ता आदि नहीं करने से तहसीलदार के सलिसता की भूमिका को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तत्पश्चात समय- 03-25 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पुलिस थाना सिरियारी पहुंचा जहां पर उपरोक्त फिकरा के पाबंद शुदा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्य अपने अपने वाहनों सहित पुलिस थाना सिरियारी में उपस्थित आ गये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित थानाधिकारी श्री अशोक चारण से ट्रेप कार्यवाही से संबंधित अग्रिम कार्यवाही संपादित करने हेतु बिजली युक्त एक कक्ष उपलब्ध करवाने का कहा तो थानाधिकारी ने थाने में स्थित कम्प्यूटर कक्ष उपलब्ध करवाते हुए अग्रिम कार्यवाही संपादित करने की मौखिक अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दस्तयाब शुदा पटवारी के दोनों हाथों को कलाई के ऊपर से सुरक्षा की दृष्टि से स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम व श्री लक्ष्मण दान एएसआई से पकड़वाये हुए ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से उतारकर थाने में स्थित कम्प्यूटर कक्ष में उपस्थित आये तत्पश्चात श्री अशोक पटवारी के हाथ धोवन की कार्यवाही हेतु ट्रेप बाक्स व विडियो रिकार्डर मंगवाया जाकर अग्रिम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए इस कार्यवाही की विडियो ग्राफी हेतु श्री सतपाल कानि को निर्देशित कर कार्यालय हाजा का विडियो रिकार्डर जिसमें नया मेमोरी कार्ड डालकर विडियो रिकार्डर चालू करवाया गया तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहयान व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुए आने के मतव्य से अवगत करवाते हुए दस्तयाब शुदा श्री अशोक पटवारी को पुन उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम अशोक पुत्र श्री पुकाराम जाति सरगरा उम्र 27 साल निवासी गांव रेपडावास पुलिस थाना शिवपुरा तहसील सोजत सिटी जिला पाली राज हाल पटवारी पटवार हल्का सिरियारी तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली बताया। तत्पश्चात उपस्थित परिवारी श्री असलम खान की तरफ इशारा कर श्री असलम खान को पहचानने के बारे में पुछा तो श्री अशोक पटवारी ने बताया कि मैं इसे जानता हूं यह मोहम्मद असलम है जो सिरियारी का रहने वाला है। तत्पश्चात श्री अशोक पटवारी को परिवारी श्री असलम खान से आज दिनांक 16-08-2025 को आचार्य भिक्षु आश्रम के बाहर सुराणा भवन के गेट के आगे परिवारी श्री असलम खान की गाड़ी में परिवारी से प्राप्त की गई रिश्तत राशि प्राप्त करने के बारे में पुछा तो उसने बताया कि आज मैंने

इनसे रुपये लिये जो मेरे गले में लटके स्लिंग बैग में रखे हैं। तत्पश्चात श्री अशोक पटवारी को परिवादी श्री असलम से रुपये किस बात के लिए लिये इस बारे में पुछने पर बताया कि मैंने इनसे उधार रुपये लिये हैं जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री असलम खान ने श्री अशोक पटवारी के बताये तथ्यों का खंडन करते हुए स्वतः ही बताया कि श्री अशोक पटवारी जी गलत बता रहे हैं मेरे से कोई रुपये उधार नहीं लिये हैं ना ही मैंने इनको रुपये उधार दिये हैं। इन्होंने यह रुपये मेरे सिरियारी स्थित प्लाट का म्युटेशन भरने की एवज में लिये हैं मैं इनसे दो तीन दिन पहले मिला तब इन्होंने मेरे प्लोट का म्युटेशन खोलने की एवज में 50000/- रुपये मांगे थे तथा कहा था कि तहसीलदार साहब को देने पड़ते हैं रुपये दिए बिना वो म्युटेशन का काम नहीं करेंगे जिसकी मेरे द्वारा एसीबी में शिकायत की गई थी जिस पर आप द्वारा कार्यवाही करते हुए आज श्री अशोक पटवारी को मेरे से रिश्त प्रप्त करते हुए पकड़ा है। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्त राशि लेन देन के वक्त की परिवादी व श्री अशोक पटवारी के मध्य हुई वार्ता को डिजिटल वायस रिकार्ड में से चालू कर सुनाया गया तो अशोक पटवारी द्वारा परिवादी के प्लोट का म्युटेशन भरने की एवज में रिश्त राशि लेन देन की वार्ता होना पाया गया जिसके संबंध में श्री अशोक पटवारी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात श्री अशोक पटवारी के गले में लटके हुए स्लिंग बैग को गले में से निकालकर टेबल पर रखा तथा प्रक्रिया अनुसार हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए हमारा लाये ट्रेपबाक्स में से प्लास्टिक के बड़े पारदर्शी दो गिलास निकालकर दोनों गिलासों में पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त दोनों गिलास में एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनों गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल अलग अलग गिलास के रंगहीन घोल में श्री अशोक पटवारी के अलग अलग हाथ की अंगुलिया व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित गण ने भी हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया उक्त दोनों हाथ के धोवन को अलग अलग कांच की चार शिशियों में आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर अलग अलग हाथों का विवरण व कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाकर मार्क RH -1 व RH -2 तथा LH -1 व LH -2 अंकित किया गया तथा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर चारो शिशियों को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात श्री अशोक पटवारी द्वारा रिश्त राशि परिवादी से प्राप्त कर अपने पास रखे बैग में रखी होना बताये जाने पर रिश्त राशि बरामद हेतु श्री अशोक पटवारी के बैग की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम से लिवाई गई तथा बैग का अवलोकन किया तो काले व भूरे रंग का छोटा स्लिंग बैग जिस पर आगे की तरफ अंग्रेजी में FASHION लिखा हुआ है उक्त बैग की चैन को खोलकर अंदर से चैक किया तो बैग के अंदर की एक जेब में एक नोटों का बंडल रबर लगा हुआ पाया गया उक्त नोटों की गड्डी को बैग में से स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम से बाहर निकलवाया जाकर दुसरे गवाह श्री हेमराज को पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्त राशि की एक प्रति सुपुर्द कर रिश्त राशि के नंबरी नोटों के नंबरो का मिलान एवं डमी नोटों के क्रमांक एवं दोनों गवाहों एवं परिवादी के लघु हस्ताक्षरों को चैक गया तो नंबरी नोटों के नंबरो का मिलान व डमी नोटों पर परिवादी व गवाहान के लघु हस्ताक्षर होना एवं क्रमांक संख्या 21 से 100 तक मुताबिक फर्द पेशकशी के हुबहु होना पाया गया। नंबरी नोटों के नंबरो व डमी नोटों के क्रमांक का विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्या नोट का विवरण नोटों के सीरियल नंबर 1 एक नोट पांच सौ रुपये का 3EE803107 2 एक नोट पांच सौ रुपये का 9DD265066 3 एक नोट पांच सौ रुपये का 1FA810239 4 एक नोट पांच सौ रुपये का 9FF866688 5 एक नोट पांच सौ रुपये का 7TW081842 6 एक नोट पांच सौ रुपये का 4EA388881 7 एक नोट पांच सौ रुपये का OBS834391 8 एक नोट पांच सौ रुपये का ODM390620 9 एक नोट पांच सौ रुपये का 3NP243037 10 एक नोट पांच सौ रुपये का 4BP069914 11 एक नोट पांच सौ रुपये का 6KS738106 12 एक नोट पांच सौ रुपये का 1HM131143 13 एक नोट पांच सौ रुपये का 3DF153011 14 एक नोट पांच सौ रुपये का 4MA224925 15 एक नोट पांच सौ रुपये का 4GF115541 16 एक नोट पांच सौ रुपये का 9KG425920 17 एक नोट पांच सौ रुपये का 6DU445216 18 एक नोट पांच सौ रुपये का 9PN125685 19 एक नोट पांच सौ रुपये का 9GL641877 20 एक नोट पांच सौ रुपये का 5UU381049 21 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 22 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 23 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 24 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 25 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 26 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 27 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 28 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 29 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 30 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 31 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 32 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 33 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 34 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 35 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 36 एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 37 एक पांच सौ रुपये

[illegible]

गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में कपड़े के एक टुकड़े को डुबोकर भिगोया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात इस रंगहीन घोल में डुबोये हुए भीगे हुए कपड़े के टुकड़े को श्री अशोक पटवारी के बैग के अंदर की जेब जहां से रिश्तत राशि के नोटों का बंडल बरामद हुआ उस जेब के अंदर उक्त भीगे हुए कपड़े को फेर कर रंगहीन घोल में पुन डुबोया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया तथा कपड़े का टुकड़ा भी हल्का गुलाबी रंग युक्त हो गया जिसे उपस्थित गण ने गिलास के घोल का रंग गहरा गुलाबी और कपड़े के टुकड़े का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घोल को अलग अलग कांच की दो शिशियों में आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाकर मार्क B -1 व B -2 अंकित किया गया तथा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर दोनों शिशियों को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात श्री अशोक पटवारी का उक्त बैग जिसमें से रिश्तत राशि बरामद होने से उक्त बैग कार्यवाही में वजह सबूत होने से बैग को अंदर से चैक किया गया तो बैग के अंदर तीस रुपये नगद व श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री छोगाराम निवामी सिरियारी के मर्त्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति व मंजु गहलोत एएनएम के नाम से स्वतंत्रा दिवस पर मारवाड जंक्शन ब्लाक स्तर पर योग्यता प्रमाण पत्र दिए जाने से संबंधित आवेदन पत्र जिस पर मंजु गहलोत एएनएम का विवरण अंकित होकर मंजु गहलोत के हस्ताक्षर किये हुए तथा सफेद रंग के कपड़े का एक मास्क बना हुआ आदि पाये गये हैं। बैग में मिले नगद तीस रुपये के बारे में पुछने पर श्री अशोक पटवारी ने बताया कि यह पैसे मेरे खर्च के हैं जो मेरे पास बैग में रखे हुए हैं। उक्त तीस रूपयों के बारे में श्री अशोक पटवारी द्वारा बताये तथ्य मानने योग्य होने व तीस रुपये जो की मामूली राशि होने से कोई संदिग्ध राशि प्रतीत नहीं होती है जो श्री अशोक पटवारी के कहे अनुसार प्रथक से जरिये सुपुर्दगी लौटाई जाएगी तथा दोनों कागज की प्रतियों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया तथा बैग में मिले सफेद कपड़े के मास्क को बैग में ही रहने दिया जाकर बैग के अंदर की जेब जहां से रिश्तत राशि बरामद हुई उस जेब के अंदर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा बैग के जेब के धोवन हेतु प्रयोग में लिये गये कपड़े के टुकड़े पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त कपड़े के टुकड़े को व स्लिंग बैग को सफेद कपड़े की एक थैली में सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क-B अंकित किया जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात श्री अशोक पटवारी को परिवादी द्वारा अपने प्लोट के म्युटेशन हेतु दिए गए प्लोट के पंजीयन के दस्तावेजात के बारे में पुछा तो श्री अशोक पटवारी ने अपने पास कोई दस्तावेजात नहीं होना बताया जिस पर उपस्थित परिवादी श्री असलम खान ने बताया कि अशोक पटवारी जी झुठ बोल रहे हैं मेरे प्लोट की रजिस्ट्री के कागजात की फोटो कांपी मैंने इनको दी थी जो इनके पास इनके आफिस में या इनके आफिस के बैग में होंगे। परिवादी के प्लोट के कागजात श्री अशोक पटवारी के पास होने के संबंध में पटवार घर सिरियारी की आईदा तलाशी लेकर जब्ती की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। तत्पश्चात रिश्तत राशि लेन देन के वक्त डिजिटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड करवाई हुई वार्ता को डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर पुन सुना गया तो लेन देन के वक्त की वार्ता में रिश्तत राशि लेन देन की वार्ता होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रान्स्क्रिप्ट प्रथक से तैयार करने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल वायस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से श्री अशोक पटवारी पटवार हल्का सिरियारी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राज द्वारा परिवादी श्री असलम खान के सिरियारी स्थित प्लोट का म्युटेशन भरने की एवज में पूर्व में दौराने मांग सत्यापन तहसीलदार के नाम से रिश्तत राशि के रूप में 50000/-रूपयों की मांग की गई तथा मांग के अनुसरण में रिश्तत राशि 50000/-रूपये (10000/- रूपये भारतीय प्रचलित मुद्रा व 40000/- रूपये के डमी नोट) प्राप्त कर अपने पास गले में लटकाये स्लिंग बैग के अंदर वाली जेब में रखे जो दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद होने से श्री अशोक पटवारी का उक्त क्रत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी श्री अशोक पटवारी को उसके द्वारा किये गये जुर्म से जरिये फर्द प्रथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही किया जावेगा। परिवादी की गाडी में श्री अशोक पटवारी द्वारा रिश्तत राशि लेन देन के वक्त गाडी में पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला था जिससे नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम आसाराम पुत्र श्री छगन जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवामी गांव कनेछन खुर्द तहसील फूलिया पुलिस थान फूलिया जिला भीलवाडा हाल पशुधन सहायक ग्राम पंचायत सिरियारी जिला पाली होना बताया साथ ही कि मैं ग्राम पंचायत सिरियारी में पशुधन सहायक के पद पर संविदा कर्मी के रूप में पिछले दो माह से लगा हुआ हूं। मैं अशोक पटवारी को जानता हूं ये सिरियारी में पटवारी है। आज अशोक जी पटवारी ने मुझे फोन कर खाना खाने के लिए बुलाया तो मैं चौराये पर आ गया जहां से पटवारी जी मोटरसाईकिल लेकर आये तथा मुझे मोटरसाईकिल पर बैठाकर आचार्य भिक्षु आश्रम सिरियारी लेकर आये उसके बाद हम दोनों आश्रम में गये तथा भोजनशाला में खाना खाया उसके बाद हम आश्रम से बाहर बनी केंटीन आये जहां पर श्री असलम जी मिले जिनको मैं जानता हूं। उसके बाद असलम जी व श्री अशोक पटवारी जी आश्रम के बाहर ही खड़ी असलम जी की गाडी में बैठ गये तथा मैं भी इनके साथ ही पीछे की सीट पर बैठ गया। गाडी में आगे की सीट पर बैठे असलम जी व अशोक पटवारी जी आपस में बातें कर रहे थे मैं पीछे बैठा मेरा मोबाईल चला रहा था मैंने इन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। परिवादी की गाडी में

बैठे श्री आमाराम के बताये तथ्यों से आमाराम श्री अशोक पटवारी के क्रृत्यों से अनभिज्ञ होने तथा केवल परिचित होने के नाते श्री अशोक पटवारी के साथ आने के कारण श्री आमाराम का इस कार्यवाही से कोई संबंध नहीं होने से श्री आमाराम को रूखसत करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्त राशि एवं हाथ धुलाई कार्यवाही वक्त 03-35 पीएम पर शुरू कि गई जो वक्त 09-15 पीएम पर संपादित हुई। फर्द बरामदगी तैयार कर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री अशोक पटवारी जो कि पटवारी पद पर नियुक्त हुए करीब 03 वर्ष का समय ही हुआ है तथा आरोपी राजस्व विभाग का छोटा कर्मचारी होने एवं आरोपी का रहन सहन सामान्य स्तर का ही होने से आरोपी के निवास की खाना तलाशी नहीं लेने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात समय- 09-20 पीएम पर समय ट्रेप कार्यवाही में हाथ धोवन एवं बरामदगी रिश्त राशि कार्यवाही की विडियोग्राफी कार्यालय हाजा के विडियो रिकार्डर से करवाई गई थी उक्त विडियो रिकार्डर में से मूल मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड की हैस वेल्यु निकाली तथा मेमोरी कार्ड के दो डब/ कापी पैन ड्राईव तैयार किये जाकर खुली हालात में रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपड़े की थैली में डालकर जरिये फर्द जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया जिसकी फर्द जब्ती अलग से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 09-30 पीएम पर अब तक की ट्रेप कार्यवाही से उजागर हुए साक्ष्यों के विवेक्षण से आरोपी श्री अशोक पटवारी द्वारा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर इनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर विधिक प्रावधानानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी प्रथक में तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अशोक पटवारी के लिए भोजन की व्यवस्था कर भोजन करवाया गया। तत्पश्चात समय- 09-35 पीएम पर रिश्त राशि लेन देन के वक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रूबरू गवाहान एवं परिवादी के श्री भवानी सिंह हैड कानि से डिजिटल वायस रिकार्डर को कार्यालय के लैपटाप से कनेक्ट करवाकर साफ्टवेयर की मदद से लैपटाप के इनबिल्ट स्पीकर से सुन सुन कर समझ समझ कर शब्द व शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्त राशि लेन देन वार्ता तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। इस वार्ता के दो डब/ कापी पेन ड्राईव तैयार किये जाकर खुली हालात में रखे गये। तत्पश्चात लेन देन के वक्त की वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड की हैस वेल्यु निकाली गई तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) (सी) के तहत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर कपड़े की थैली में शील मोहर किया गया थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इस रिकार्डिंग वार्ता में रिकार्ड आवाज की पहचान परिवादी श्री असलम खान ने एक आवाज स्वयं की व दुसरी आवाज आरोपी श्री अशोक पटवारी की होना बताया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट लेन देन वार्ता वक्त 11-30 पीएम तक संपादित हुई। तत्पश्चात समय- 11-40 पीएम पर रिश्त राशि लेन देन के घटना स्थल का फर्द नक्शा मौका तैयार करने हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह परिवादी श्री असलम खान एवं स्वतंत्र गवाह श्री हेमराज व घनश्याम एवं ब्यूरो स्टाफ श्री गोविंद वर्मा एएसआई के जरिये सरकारी वाहन घटना स्थल आचार्य भिक्षु आश्रम सिरियारी के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 11-45 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त हमराहयान के रिश्त राशि लेन देन के घटना स्थल आचार्य भिक्षु आश्रम सिरियारी के मुख्य गेट के बाहर पहुंचा जहां पर परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाह की उपस्थिती में रिश्त राशि लेन देन की घटना स्थल का नजरी नक्शा मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका प्रथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। बाद नक्शा मौका के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहयान के घटना स्थल से पुलिस थाना सिरियारी के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात दिनांक- 17-08-2025 समय- 12-05 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहयान के बाद नक्शा मौका घटना स्थल से रवाना शुदा पुलिस थाना सिरियारी उपस्थित आया। फर्द नक्शा मौका शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 12-10 एएम पर परिवादी द्वारा पूर्व में पटवारी से अपने खरीदशुदा प्लोट का म्युटेशन दर्ज करवाने के लिए प्लोट के पंजीयन दस्तावेज की फोटो प्रति श्री अशोक पटवारी को दी गई थी जो आरोपी के पटवार घर में होने की संभावना के मददेनजर पटवार घर सिरियारी की खाना तलाशी लेने हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा श्री अशोक पटवारी को हमरा लेकर जरिये सरकारी वाहन एवं ब्यूरो स्टाफ के पटवार घर सिरियारी के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 12-15 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त हमराहयान एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी के पटवार घर सिरियारी पहुंचा जहां पर पूर्व का पाबंदशुदा ईमित्र संचालक निर्मल जिसके पास पटवार घर की चाबी थी जो भी पटवार घर उपस्थित आया। तत्पश्चात पटवार घर का ताला खुलवाया जाकर तलाशी ली गई तो परिवादी के प्लोट के पंजीयन दस्तावेजात की फोटो प्रति पटवार घर में नहीं मिली तथा पटवार घर में अन्य कोई संदिग्ध राशि व संदिग्ध दस्तावेजात भी नहीं पाये गये। परिवादी के प्लोट के पंजीयन के कागजात के बारे में हमराह आरोपी श्री अशोक पटवारी से पुछा तो बताया कि श्री असलम ने उसके प्लोट के कागजात काफी समय पहले मुझे दिए थे जो कहां रखे हैं आज मुझे याद नहीं है। पटवार घर में परिवादी के प्लोट के कागजात नहीं मिलने व कोई संदिग्ध राशि व संदिग्ध दस्तावेजात नहीं मिलने से पटवार घर की खाना तलाशी की फर्द मुर्तिब नहीं की गई। तत्पश्चात बाद तलाशी पटवार घर से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार आरोपी श्री अशोक पटवारी व दोनो स्वतंत्र

गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के पुलिस थाना सिरियारी के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 01-09 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का उपरोक्त हमराहयान के रवानाशुदा पटवार घर सिरियारी से पुलिस थाना सिरियारी उपस्थित आया। तत्पश्चात समय- 01-15 एएम पर कार्यवाही से संबंधित जब्त किये गये वजह सबूत के पैकेट व शीशियों को शील्ड करने में प्रयोग में ली गई पीतल की सील का नमूना फर्द प्रथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 01-30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से संपूर्ण कार्यवाही संपादित होने के पश्चात परिवादी श्री असलम खान को अपनी सकूनत के लिए रवाना किया गया। उपरोक्त तथ्यों से आरोपी श्री अशोक पटवारी पटवार हल्का सिरियारी तहसील मारवाड ज जिला पाली द्वारा परिवादी श्री असलम खान के प्लोट का म्युटेशन भरने की एवज में पूर्व में दौराने मांग सत्यापन तहसीलदार के नाम से रिश्तत राशि के रूप में 50000/-रूपयों की मांग की गई तथा मांग के अनुसरण में रिश्तत राशि 50000/-रूपये (10000/- रूपये भारतीय प्रचलित मुद्रा व 40000/- रूपये के डमी नोट) प्राप्त कर अपने पास गले में लटकाये स्लिंग बैग के अंदर वाली जेब में रखे जो दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद होने से आरोपी श्री अशोक पटवारी का उक्त क्रत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी अशोक पुत्र श्री पुकाराम जाति सरगरा उम्र 27 साल निवासी गांव रेपडावास पुलिस थाना शिवपुरा तहसील सोजत सिटी जिला पाली हाल पटवारी पटवार हल्का सिरियारी तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे। भवदीय (खींव सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींव सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली- द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपी अशोक पुत्र श्री पुकाराम जाति सरगरा उम्र 27 साल निवासी गांव रेपडावास पुलिस थाना शिवपुरा तहसील सोजत सिटी जिला पाली हाल पटवारी पटवार हल्का सिरियारी तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली के विरुद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कुयाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरौही को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 330 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1196-99 दिनांक 17.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशेष न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2-जिला कलक्टर, पाली 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली- द्वितीय । अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

KUYARAM

Rank

निरीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पत्र कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

- Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad
Sharma
Location: Rajasthan, IN
Date: 12/09/2025 11:02

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनाबट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (चाब)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)